"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22- छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़ दुग तक. 114 009.2003 20 1 03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च 2007—चैत्र 2, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31-1-2007 के द्वारा श्री सरजियस मिंज को कृषि उत्पादन आयुक्त के पद पर पदस्थ करते हुये प्रमुख सचिव, वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था. अब उक्त आदेश के अनुक्रम में श्री सरजियस मिंज, भा. प्र. से. (1978) को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदेन प्रमुख सचिव, कृषि विभाग घोषित किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—सुश्री रीना बाबासाहेब कंगाले, भा. प्र. से. (2003), अपर कलेक्टर, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2007

क्रमांक एफ 1-1/2007/1/5.—भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-प.ब.-एक, तारीख 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई "परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट) 1881" (1881 का क्रमांक -26) की धारा-25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव लोकसभा उप चुनाव के सिलसिले में दिनांक 29 मार्च, 2007 वार गुरुवार मतदान के लिये, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र (जिला राजनांदगांव और जिला कबीरधाम) के लिये सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा.

2. क्रमांक एफ 1-1/2007/1/5.—राज्य शासन एतद्द्वारा यह भी घोषित करता है कि छत्तीसगढ़ राजनांदगांव लोकसभा उप चुनाव, 2007 के लिये मतदान के दिनांक 29 मार्च, 2007 वार गुरुवार राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र (जिला राजनांदगांव और जिला कबीरधाम) के लिये सामान्य अवकाश का दिन भी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2007

क्रमांक /एफ-1-13/07/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का क्रमांक 27) की धारा-3 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/16/06 दिनांक 26 अगस्त, 2006 को निरस्त करते हुये राज्य शासन एतद्द्वारा श्री नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए श्रमायुक्त नियुक्त करता है.

Raipur, the 9th March 2007

No. F 1-13/2007/16.—In exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 3 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (No. 27 of 1960) and in supersession of C. G. Labour Department notification No. F 10-2/16/06 dated 26 August 2006 the State Government here by appoints Shri Narayan Singh to be the "Commissioner of Labour" for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गेबनुस खलखो, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 2 मार्च 2007

क्रमांक/23/अ. वि. अ./भू-अर्जन/5 अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बोरियाझर प. ह. नं. 80	0.31	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	बोरियाझर बकमा मार्ग केशवा नाला पर प्रस्तावित पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 2 मार्च 2007

क्रमांक/24/अ. वि. अ./भू-अर्जन/6 अ/82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बकमा प. ह. नं. 79	0.06	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	बोरियाझर बकमा मार्ग पर केशवा नाला पर पुल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/45.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	कोसीर प. ह. नं. 08	0.061	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	ससहा डि. ब्यू. के अंत. कोसीर माइनर नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/46.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	डोगाकोहरौद प. ह. नं. 09	0.061	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	खरखोद माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/47.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	ससहा प. ह. नं. 08	0.056	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	ससहा माइनर नं. 1, नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/48.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	भिलौनी प. ह. नं. 08	0.053	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	धनगांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक-क/भू-अर्जन/49.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	पामगढ़	भिलौनी प. ह. नं. 08	0.045	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	केशला माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 2 मार्च 2007

क्रमांक 1966/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गुंगेरीनवागांव प. ह. नं. 14	22.066	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखा नाला बॅराज बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 मार्च 2007

क्रमांक 1967/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	घुघवा प. ह. नं. 14	5.436	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखा नाला बॅराज बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 मार्च 2007

क्रमांक 1968/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	कासमसुर प. ह. नं. 14	7.044	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखा नाला बॅराज बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 मार्च 2007

क्रमांक 1969/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मनेरी प. ह. नं. 14	6.461	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बॅराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखा नाला बॅराज बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 मार्च 2007

क्रमांक 1970/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	कातलवाही प. ह. नं. 11	3.16	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	छिपा व्यपवर्तन नहर विस्तार कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 मार्च 2007

क्रमांक 1971/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	आलीवारा प. ह. नं. 11	1.80	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	छिपा व्यपवर्तन नहर विस्तार कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 2 मार्च 2007

क्रमांक 1972/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	भानपुरी प. ह. नं. 11	2.89	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	छिपा व्यपवर्तन नहर विस्तार कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक /भू-अर्जन/अ-82/1/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हली	1.198	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहर चैन क्र. 695.4 से 698.8 एवं चैन क्र. 734.4 से 756.50 हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन अभियंता, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक /भू-अर्जन/अ-82/2/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हली	0.064	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना की फाफनी माइनर नहर क्र. 1.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन अभियंता, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक /भू-अर्जन/अ-82/3/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	फाफनी	1.804	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना की फाफनी माइनर नहर क्र. 1, सब माइनर नहर क्र. 2.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन अभियंता, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ-82/4/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	कुम्हली	0.899	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम जलाशय परियोजना की कुम्हली सब माइनर नहर.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन अभियंता, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 मार्च 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/अ-82/5/1995-96.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	कमेला	158.45	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर जिला-बस्तर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता, टी. डी. पी. पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर जिला बस्तर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 9 मार्च 2007

क्रमांक/2169/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-तिलई, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.75 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	516	0.15
	518/1	0.60
	519/2	0.18
	520/2	0.46
	544	0.12
	546	0.12
	547	0.12
योग	7	1.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बोरी जलाशय योजना के डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे प्लॉन का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2007

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./10/ अ. 82/ 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पंडरीतराई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.104 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
61/2	0.020
61/3	0.016
61/6	0.016
62/3	0.016
62/4	0.016
62/5	0.016
106/18	0.004
योग 7	0.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-देवेन्द्रनगर आवासीय योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2007

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./11/ अ/82/ 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-फाफाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.149 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
210/21	0.016
210/22	0.016
210/23	0.016
210/24	0.016
210/25	0.016
347/10	0.013
347/12	0.014
347/4	0.016
347/13	0.013
347/14	0.013
योग 10	0.149

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-देवेन्द्रनगर आवासीय योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2007

क्रमांक/क./वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र./12/ अ/82/ 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रायपुरा, प. ह. नं. 104
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.838 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
97	18.838
योग	18.838

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-रायपुरा आवासीय योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2007

क्रमांक /अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 20 अ/82, वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-आरंग
- (ग) नगर/ग्राम-मंदिर हसौद
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.254 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
4/1	0.510
188	0.090
14/1, 14/2	0.430
12	0.180
15/1	0.186
15/2	0.081
29/2	0.550
29/1	0.015
29/3	0.230
29/4	0.040
29/5	0.101
29/6	0.146
29/7	0.095
189	0.210
190	0.310
191	0.080
योग 17	3.254

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-जोरा-सड्डू-धनेली (बायपास क्र.-3) रायपुर का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक/1154/भू-अर्जन/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-बीजापुर
- (ग) नगर/ग्राम-धनोरा-तोयनार, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.05 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
331	1.20
246, 264, 280	1.65
322/41, 329/4	0.71
322/2, 336/2, 323/2, 335/2	2.23
329/3, 335/3	0.64
254	0.15
329/1, 322/1, 336/1	1.15
240, 265	1.20
263/1, 256, 269	0.47
266, 245	0.60
281	0.32
262, 263/2	0.83
101	0.50
151	0.40
योग	12.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धनोरा से तोयनार मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बीजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक/1157/भू-अर्जन/ /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-दन्तेवाड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-कारली, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1204	0.10
योग	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दन्तेवाड़ा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत उपशाखा नहर/नाली निर्माण ग्राम गुमडा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दन्तेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 5 मार्च 2007

क्रमांक 1138/भू-अर्जन/अ.वि.अ./12 अ/82/ सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-छिर्रापाली, प. ह. नं. 01

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
378	0.01
430	0.02
225	0.02
320	0.22
353	0.09
441	0.07
318	0.06
420	0.01
373	0.01
428	0.06
421	0.11
376	0.04
223	0.02
427	0.02
429	0.03
314	0.03
319	0.06
444	0.01
226	0.09
375	0.11
227	0.03
313/2	0.10
योग 22	1.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छिर्रापाली जलाशय ,योजना के बायींतट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 मार्च 2007

क्रमांक 1138/भू-अर्जन/अ.वि.अ./13 अ/82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-बेलडीह पठार, प. ह. नं. 12

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.07 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
198	0.09
15	0.02
68	0.05
150	0.16
321	0.08
200/1	0.01
245	0.08
75	0.26
186	0.09
71	0.23
133	0.10
188	0.01
255	0.09
32	0.05
138	0.04
152	0.07
28	0.18
31	0.05
36	0.02
137	0.06
187	0.04
200/2	0.01
29	0.01
136	0.07
17	0.05

(1)	(2)
239	0.04
240	0.06
322	0.06
153	0.08
199	0.02
70	0.09
134	0.09
69	0.10
135	0.13
241	0.13
243	0.06
37	0.08
34	0.06
151	0.04
33	0.04
254	0.07
योग 41	3.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लमकेनी सरायपाली जलाशय योजना के बायींतट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 मार्च 2007

क्रमांक 1138/भू-अर्जन/अ.वि.अ./14 अ/82/ सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-सरायपाली

(ग) नगर/ग्राम-बेलडीह, प. ह. नं. 13/32

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.50 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
248	0.06
29	0.09
49	0.05
160	0.03
244	0.07
358	0.09
51	0.10
05	0.09
265	0.07
13	0.03
172	0.04
339/803	0.09
20	0.08
01	0.01
254	0.05
15	0.05
08	0.08
338	0.04
262	0.04
350	0.20
50	0.03
70	0.13
30	0.07
245	0.04
246	0.04
48	0.01
67	0.03
79	0.03
359	0.12
169/797	0.10
52	0.06
263	0.04
336	0.03
255	0.04
16	0.03
256	0.03
17	0.08
03	0.01
07	0.05
264	0.05
182	0.01
700	0.03
730	0.01
642	0.02

(1)	(2)
643	0.04
128, 192, 193	0.01
742/1	0.03
743/2, 745/2	0.01
127	0.02
194	0.03
635	0.02
729	0.02
669	0.01
694	0.01
166	0.01
179	0.01
672	0.01
680	0.01
192/792	0.05
632	0.01
737/2	0.01
646/1	0.01
698/2	0.01
739/1	0.02
740/1	0.01
472/4	0.01
743/1, 745/1	0.01
750/2	0.02
167	0.02
178	0.02
169/797	0.01
670	0.03
671	0.04
666	0.03
695	0.03
698/1	0.03
739/2	0.02
750/1	0.02
741/2	0.03
190	0.02
168	0.04
173	0.01
696	0.04
132	0.02
693	0.05
636	0.03
727	0.03
743/3	0.01
745/3	0.01
697	0.02
740/2	0.04
631	0.02
737/1	0.02
181	0.01
योग 98	3.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लमकेनी सरायपाली जलाशय योजना के बायींतट नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 5 मार्च 2007

क्रमांक 1138/भू-अर्जन/अ.वि.अ./19 अ/82/सन् 2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-बसना
- (ग) नगर/ग्राम-टीपा, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.57 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
447	0.06
449	0.51
योग 2	0.57

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-थीपापानी जलाशय योजना के उलट निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2007

आकस्मिक रिक्ति की सूचना

[छ. ग. न. पा. नि. अधिनियम 1956 की धारा 23 की उपधारा (2) (एक) के अंतर्गत]

क्रमांक/शा./एक/342-13/06/1639.—कु. रीता तिर्की, निर्वाचित पार्षद, वार्ड क्र. 09 नगरपालिक निगम, चिरमिरी ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन 1956) की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिनांक 18-08-2006 को लिखित रूप से स्वेच्छया पार्षद के पद से त्याग-पत्र देते हुये उसे स्वीकार करने का निवेदन किया है.

उक्तानुसार प्राप्त त्याग-पत्र की वास्तविकता के बारे में समाधान कर लिया गया है तथा उपरोक्त कारण की तुष्टि होने के उपरांत कु. रीता तिर्की, निर्वाचित पार्षद, विनोवा भावे वार्ड क्र. 09 नगरपालिक निगम चिरमिरी का पार्षद पद से दिनांक 18-08-2006 को दिया गया त्याग-पत्र एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है.

यह भी अधिसूचित किया जाता है कि कु. रीता तिर्की के त्यागपत्र के कारण नगरपालिक निगम चिरमिरी के विनोवा भावे वार्ड क्र. 09 के पार्षद का पद रिक्त घोषित किया जाता है.

सी. के. खेतान,
आयुक्त-सह-संचालक.

संचालनालय स्थानीय निधि संपरीक्षा

बी-99, मेन रोड, समता कालोनी, डॉ. पांडे नर्सिंग होम के पास रायपुर छ. ग.

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2007

क्रमांक/एल. एफ. ए./प्रशा./2007/309.—शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु चलाये गये विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्त शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षक के लिये विभागीय अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग 2 दिनांक 08-01-07 से 11-01-07 तक आयोजित की गई. शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षक के प्राप्तांक के आधार पर निम्नांकित परीक्षार्थी विभागीय अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग 2 में उत्तीर्ण घोषित किये जाते हैं :-

क्र.	रोल नंबर	शिशिक्षु ज्येष्ठ संपरीक्षक का नाम
1.	202	श्री दादूराम ध्रुव

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2007

क्रमांक/एल. एफ. ए./प्रशा./2007/310.—राज्य सेवा परीक्षा 2003 के तहत चयनित परीवीक्षाधीन सहायक संचालकों के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित करने की अनुमति शासन के पत्र क्र. 1265/1554/2006/स्था/चार रायपुर दिनांक 07-11-06 द्वारा प्रदान की गयी. शासन द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के अनुक्रम विभागीय परीक्षा भाग 1 दिनांक 08-01-07 से 11-01-07 तक आयोजित की गई. परीवीक्षाधीन सहायक संचालक के प्राप्तांक के आधार पर निम्नांकित परीक्षार्थी विभागीय परीक्षा भाग 1 में उत्तीर्ण घोषित किये जाते हैं :-

क्र.	रोल नंबर	परीवीक्षाधीन सहायक संचालक का नाम
1.	101	श्री गोविन्द सिंह कुमेटी
2.	102	श्री सौदागर सिंह ताण्डेय
3.	104	श्री विकास माहेश्वरी

अजयपाल सिंह,
संचालक.

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड
सी-12, सेक्टर-3, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2007

क्रमांक/अ. सू./171/07.—छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर एतद्द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 65 के अनुसार अधिकारों का उपयोग करते हुये वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 51 एवं सहपठित धारा 51 (1), (2) के प्रावधान अनुसार अकबर खां वक्फ अलल् औलाद वक्फ नामा दिनांक 20-04-1937 बिलासपुर जो म. प्र. राजपत्र क्र. 34 भोपाल शुक्रवार दिनांक 25-08-1989 के भाग 3 (1) सिरियल क्र. 130 एवं पृष्ठ, क्र. 2034 से 2121 तक अंकित है, को उचित सुरक्षा विकास विक्रय विनिमय रहन एवं अन्य वक्फ सम्पत्तियों की आय बढ़ाने एवं विभिन्न जनहित जन कल्याण में प्राप्त राशि खर्च करने हेतु प्रबंध वक्फ बोर्ड रायपुर अपने अधिकार में लेता है.

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2007

क्रमांक/अ. सू./173/07.—छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर एतद्द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 65 के अनुसार अधिकारों का उपयोग करते हुये वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 51 एवं सहपठित धारा 51 (1), (2) के प्रावधान अनुसार मस्जिद मदरसा ग्राम सरगांव तहसील मुंगेली जिला बिलासपुर जो म. प्र. राजपत्र क्र. 34 भोपाल शुक्रवार दिनांक 25-08-1989 के भाग 3 (1) सिरियल क्र. 35 एवं पृष्ठ, क्र. 1980 से 1983 तक अंतिक है, को उचित सुरक्षा विकास विक्रय विनिमय रहन एवं अन्य वक्फ सम्पत्तियों की आय बढ़ाने एवं विभिन्न जनहित जन कल्याण में प्राप्त राशि खर्च करने हेतु प्रबंध वक्फ बोर्ड रायपुर अपने अधिकार में लेता है.

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2007

प्रारूप-अ 6

[अन्तर्गत धारा 51 (2)]

प्रकाशन अचल सम्पत्ति की आम नीलामी

उपयोगिता संबंधी प्रकाशन

राशि का विनियोग द्वारा विक्रय से प्राप्त/विनियम/बन्धक वक्फ सम्पत्ति के संबंध में

क्रमांक/छ. ग. व. बो/औकाफ/486/2007.—यहां पर वक्फ सम्पत्ति दर्शित सूची के नीचे दी गई है जो वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 51 (2) के अन्तर्गत विक्रय नीलामी के द्वारा किया जाना है.

2. यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्ताव उपयोगिता बाबत्/विनियोजन की जाने वाली राशि के संबंध में कालम 3 सूची में दर्शित है.

सूची-1

वक्फ का नाम	विवरण विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति का	विवरण उक्त प्रस्ताव के उपयोगिता एवं विनियोजन के लिए
चांटपारा बिलासपुर	1,15,975 वर्ग फुट	चेरिटेबल डिस्पेंसरी/वक्फ सम्पत्तियों का विकास/कब्रस्तान बाउन्डरी/गेट निर्माण/पेश ईमाम/मौज्जन/बेवा/यतीम/छात्रवृत्ति/आदि का भुगतान/बोर्ड की आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यों का निर्माण.

3. अब यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा सुक्षमता से निर्णय उक्त प्रस्ताव जिसमें उपयोगिता/विनियोजन की जाने वाली राशि जो प्राप्त हुई है. वह यहां पर अनुमोदित हो कर उपयोगिता एवं विनियोजन जिसका उल्लेख कालम नं. 3 सूची में अंकित है.

4. उक्त प्राप्त राशि की अदायगी विभिन्न जनकल्याण योजनाओं के नवीनीकरण या पुनर्निर्माण उक्त वक्फ सम्पत्ति के संबंध में एवं जिसका निर्णय बोर्ड द्वारा समय-समय पर किया गया है.

5. कोई अवरोध या हस्ताक्षेप इस प्रकाशन के संबंध में या मुतवल्ली/सेक्रेटरी या क्रेता/विनिमय का बंधक प्रभावित होंगे जो कि प्रावधान की धारा 61 (उपधारा) (2) (b) वक्फ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत होंगे.

FORM-A6.

[See Section 51 (2)]

Notification Regarding Utilisation/Investment Amount Realised by Sale/Exchange/Mortgage of Wakf Property.

No./छ. ग. व. बो/औकाफ/486/2007.—Whereas, the Wakf property shown in the Schedule will be sold by public auction under Section 51 (2) of the Wakf Act, 1995.

2. Whereas, the Chhattisgarh State Wakf Board has made a proposal to utilize/invest this amount for the purpose shown in Column 3 of the Schedule.

SCHEDULE—I

Name of the Wakf (1)	Details of the property (2)	Details of proposal of Utilisation/Investment (3)
Chatapara Bilaspur	1,15,975 sq.ft.	Development of Charitable Dispensaries/waqf properties/Qabrastan boundries, gate/Payment to Peshimam / Mauzzan / Widows / Merit Scholarship etc. Any other pious work as and when needed by the Board for etc. work.

3. Now, therefore, the Chhattisgarh State Wakf Board after careful consideration of the said proposal regarding utilisation/investment of the amount so realised hereby accords approval for the utilisation/investment as proposed in Coulumn 3 of the Schedule above.

4. The realised amount will be paid to different welfare scheme renovation to wakf properties etc. as decided by Board time to time.

5. Any violations of this notification on the part of Mutawalli/Secretary or any purchaser/Exchanger of Mortgagee shall attract the Provision under Section 61 (2) (b) of the Wakf Act, 1995.

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2007

प्रारूप-अ 5

वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 51 (2) प्रावधान के अन्तर्गत

क्रमांक 487/अधि./2007.—यहां पर अधिसूचना के अनुसार आम जनता से सम्बन्धित है कि छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत वक्फ के सम्बन्ध में अंचल सम्पत्तियों के अनुमति विक्रय किए जाने वाले उक्त सम्पत्तियों अनुसूची-I से सम्बन्धित है छ. ग. राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर संख्या अपने प्रस्ताव/अनुमोदन क्रमांक 21 दिनांक 05-11-06 एवं 12 दिनांक 28-01-07.

उक्त विक्रय के स्थान एवं लोक नीलामी के स्थान तिथि एवं समय अनुसूची-II में अधिसूचना पर वर्णित है.

अनुसूची-I

स. क्र.	सम्पत्ति का विवरण	प्रक्षेत्र/क्षेत्रफल	चतुर्थ/परिसीमा	
			उत्तर-दक्षिण	पूर्व-पश्चिम
1.	चांटपारा बिलासपुर	1,15,975 वर्ग फुट	जेलरोड	मिशन अस्पताल

अनुसूची-II

स. क्र.	स्थान नीलामी की	तारीख नीलामी की	समय नीलामी की
1.	होटल सेन्टर पाईंट बिलासपुर	28-04-07	सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक

उपरोक्त विक्रय की विक्रय वस्तु के सम्बन्ध में निम्नांकित शर्तें एवं अर्हताएं हैं :-

1. नीलामी में प्रति भागीदारी को रुपये 10 लाख का बैंक ड्राफ्ट जो राष्ट्रीय बैंक का हो जिसे छ. ग. राज्य वक्फ बोर्ड रायपुर के नाम से भुगतान करना होगा. नीलामी बोली में जो अस्वीकार भागीदार होंगे उन्हें जमा किये गये बैंक ड्राफ्ट वापस किया जायेगा.

2. नीलामी की राशि चेक अथवा नगदी से स्वीकार नहीं होगी. सभी नीलामी की राशि बैंक ड्राफ्ट से जो किसी भी राष्ट्रीय बैंक का हो जो छ. ग. राज्य वक्फ बोर्ड के नाम होगा स्वीकार किया जायेगा.

3. उक्त पक्षकार या संबंधित पक्षकार द्वारा राशियों का भुगतान एवं वसूली जिसे विक्रय अचल सम्पत्तियों का किया गया है. उसकी बोली के लिये बोर्ड के अध्यक्ष की स्वीकृति के पश्चात् की जावेगी.

4. बोर्ड अधिकारी उक्त विक्रय के संबंध में कर्त्तव्यपालन या संबंधित उक्त विक्रय नीलाम एवं कर्मचारी व्यक्तिगत द्वारा या उसके मातहत उक्त अधिकारी का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष से बोली में सम्पत्ति प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा.

5. सम्बन्धित पक्षकार द्वारा यह उद्घोषणा क्रय की जाने वाली अंचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में की जावेगी एवं 25% राशि अविलम्ब बोली के बाद बैंक ड्राफ्ट से जमा करना होगा तथा अवशेष राशि 75% जो छ. ग. राज्य वक्फ बोर्ड के नाम पर 15 दिनों के भीतर भुगतान करना होगा.

6. उपरोक्त नीलामी की स्वीकृति, निरस्त अथवा स्थगित की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिये अंतिम रूप से अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी सक्षम होंगे.

FORM-A 5

Under Proviso of Section 51 (2) of Wakf Act, 1995

No. 487/Notifi./2007.—It is hereby notified for the information of the public that the Chhattisgarh State Wakf Board of Wakfs has sanctioned the sale of the immovable property shown in the Schedule I belonging to C. G. State Waqf Board Raipur. Institution vide its resolution No. 21 dated 05-11-2006 & 12 dated 28-01-07.

That said sale will take place in public auction at the place, date and time shown in Schedule II of this notification.

SCHEDULE—I

Serial No.	Details of the property	Extent/Dimension	Boundaries	
			North-South	East-West
1.	Chata Para Bilaspur	1,15,975 Sq. Ft.	Jail Road	Mission Hospital

SCHEDULE—II

Place of Auction	Date of Auction	Time of Auction
Hotel Centre Point Bilaspur	28-04-2007	11 AM to 2 PM.

The Sale is subject to the following terms and conditions :-

1. Every participant of the Auction has to pay Rs. 10 Lakh as a Bank Draft of any Nationalised Bank in favour of C. G. State Waqf Board, raipur as a entry fees which is refundable to the unsuccessful participant.

2. No Cheque/Cash will be accepted. Only All amount of Auction is accepted as a Bank Draft of any Nationalised Bank in favour of C. G. State Waqf Board.

3. The party/parties entitled to the payment of money for the recovery of which sale of immovable property is held shall not be allowed to bid for or purchase the property without the permission of the Chairman.

4. No officer having any duty to perform in connection with any sale by auction and no person employed buy or sub-ordinate to such Officer shall directly or indirectly bid for or acquire any property.

5. The party declared to be the purchaser of the immovable property may deposit immediately 25 percent of the amount by bankdraft in favour of C. G. State Waqf Board and balance bid amount of 75% will be deposited within fifteen (15) days from the date of confirmation by Chairman.

6. The Chairman and the C. E. O. will reserve every right to accept the bid or reject the bid or postponed the proceedings and there decision will be final.

एस. ए. फारुकी,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर, जिला रायपुर छ. ग.

रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2007

क्रमांक क/सहा. ख. लि. 2/3-1/खुघो/2007.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम (12) के तहत रायपुर जिला स्थित सूची में दर्शायेनुसार क्षेत्र चूनापत्थर गौण खनिज के उत्खनिपट्टा हेतु राजपत्र में प्रकाशित दिनांक से 30 दिन पश्चात् उत्खनिपट्टा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहेगा. आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् आवेदित क्षे. के चूनापत्थर खनिज का रासायनिक विश्लेषण संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग द्वारा कराया जावेगा और विधिवत् लीज स्वीकृति पर विचार किया जावेगा.

ग्राम का नाम	प. ह. नं.	तहसील	खसरा नंबर	रकबा	अन्य विवरण
डमरू	29	बलौदाबाजार	11, 34, 45	1.00 एकड़	श्री परिषोस तिवारी आ. श्री बी. एल. तिवारी के पक्ष में ग्राम डमरू प. ह. नं. 29 रा. नि. मं. व तहसील बलौदाबाजार के खसरा नंबर 11, 34, 45 रकबा 1.00 एकड़ क्षेत्र अवधि 25-3-91 से 24-3-96 तक स्वीकृत था अवधि समाप्त होने के कारण खदान रिक्त हैं.
डमरू	29	बलौदाबाजार	11, 34, 41	1.70 एकड़	श्री भोला प्रसाद जायसवाल के पक्ष में ग्राम डमरू प. ह. नं. 29 रा. नि. मं. व तहसील बलौदाबाजार के खसरा नंबर 11, 34, 41 रकबा 1.70 एकड़ क्षेत्र अवधि 18-2-91 से 17-2-96 तक स्वीकृत था अवधि समाप्त होने के कारण खदान रिक्त हैं.

एस. के. जायसवाल,
अपर कलेक्टर.